न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 21/2026 बउनवानी चैनसुख मीना **बनाम** तहसीलदार तलावडा
निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा

Appeal Number- 32124937268906

GCMS No-2026/ 14

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं. व अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
11.2.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 23.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***ग्राम बाढरामसर के ख0न0 272, को राजसात करने से संबंधित आदेश/रिकार्ड की प्रमाणित सूचना*** "तहसीलदार तलावडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/26/54 दिनांक 9.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12..2025 मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार तलावडा के पत्रांक/आरटीआई/2025/487 दिनांक 31.12.2025 द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिशः उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.12..2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा के पत्रांक/आरटीआई/2025/487 दिनांक 31.12.2025 द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिशः उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा अपीलान्ट द्वारा उसको उपलब्ध करवायी गयी उक्त सूचना पर किसी प्रकार की आपत्ति भी न्यायालय मे पेश नही की गयी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner